# राजस्थान सरकार

## राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई–डी.पी.आई.पी.

(तृतीय तल,बी ब्लाक, योजना भवन सी–स्कीम जयपुर, दुरभाष–2226175 फैक्स.– 5104014)

प.2 (46)ग्रा.वि./डीपीआईपी/2006 जयपुर, दिनांक 01.03.2007

## बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 22.2.2007 को 11.00 बजे माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल की नवीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची **परिशिष्ट 'अ'** पर संलग्न है।

बैठक में लिये गये निर्णय इस प्रकार है :–

**बिन्दु संख्याः– 1**

**आठवीं गवर्निग काऊन्सिल के कार्यवाही विवरण का अनुमोदनः–**

गवर्निंग काउंसिल ने गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की।

**बिन्दु संख्याः– 2**

**आठवीं गवर्निग काउंसिल में लिये गये निर्णयों की क्रियान्वितिः–**

राज्य परियोजना निदेशक ने गवर्निंग काउंसिल की गत बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति से अवगत कराया, जिस पर गवर्निंग काउंसिल ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए निम्नानुसार चर्चा की।

*क्रस सं. 1 : बिन्दू सं. 3.14 सेक्टर कन्सलटेन्ट की नियुक्ति : –*

इस क्रम में की गई अनुपालना का अवलोकन किया गया। अध्यक्ष गवर्निंग काउंसिल ने सेक्टर कन्सलटेन्ट की नियुक्ति की पत्रावली अवलोकन हेतु भिजवाने के निर्देश प्रदान किये।

***क्रस सं. 1 : बिन्दू सं. 3. 18: पशु स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना –***

कुल 140 AI workers को प्रशिक्षित किया जाना था। जिसके विरूद्ध माह जनवरी तक 69 ने क्लासरूम प्रशिक्षण पूर्ण कर फील्ड ट्रेनिग प्राप्त कर रहे हैं एवं 22 की क्लासरूम प्रशिक्षण चल रही हैं । शेष रहे 49 AI workers की प्रशिक्षण माह मार्च में प्रारम्भ की जावेगी।

RCDF के प्रतिनिधि ने महाप्रबन्धक (FO&AH) के द्वारा राज्य परियोजना निदेशक को लिखे गये पत्र का सन्दर्भ देते हुये अवगत कराया कि AI workers को दिये जाने वाली प्राथमिक उपचार किट एवं AI kit यथा क्राइयोवेसल इत्यादि की परियोजना की अल्प अवधि को देखते हुये नये सिरे से निविदा के माध्यम से क्रय करना कठिन होगा, अतः पशु पालन विभाग द्वारा किये गये रेट अनुबन्ध के अनुसार विश्व बैंक की सहमति प्राप्त कर आपूर्ति करने का सुझाव दिया। इस विषय पर गवर्निंग कांउसिल द्वारा निर्देश दिये कि विश्व बैंक के Procedure अनुसार खुली निविदाये आमंत्रित कर शीघ्र क्रय की कार्यवाही सम्पन्न की जावे।

***क्रस सं. 1 : बिन्दु सं. 3.20 (अतिरिक्त एजेण्डा–1)* : गांधी ग्राम योजना :**

इस योजना के अन्तर्गत आज दिनांक तक स्वीकृत कार्यो को परियोजना अवधि में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया तथा परियोजना की शेष रही अल्प अवधि को दृष्टिगत रखते हुये नये कार्य स्वीकृत नहीं करने का निर्णय लेते हुये इस बिन्दु को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

**बिन्दु संख्या 3 : क्रम सं 2 बिन्दू सं. 6.3 – अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता मे गैर सरकारी संस्थाओं एवं जिला परियोजना प्रबंधकों की समीक्षात्मक बैठक के संबंध में:–**

गैर सरकारी संस्थाओं की दिनांक 27.6.2006 को आयोजित कार्यशाला में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही पृथक से पत्रावली पर अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया।

***बिन्दु संख्या 8.8 वर्ष 2006– 07 के लिये बजट अनुमान :–***

इस संबंध में गवर्निंग काउंसिल ने यह निर्णय लिया कि वर्ष 2006– 07 के बजट अनुमान हेतु रु. 200.00 करोड का एक्शन प्लान तैयार किया जावे।

गवर्निंग काउंसिल द्वारा वर्ष 2006–07 के संशोधित बजट अनुमान रुपये 100 करोड़ तथा वर्ष 2007–08 के प्रस्तावित बजट के प्रावधान को इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया कि परियोजना की शेष अवधि में परियोजना की बची लगभग 160 करोड़ रुपये राशि का व्यय किया जावे। वित्तीय वर्ष 2006–07 में 100 करोड रुपये कम व्यय के कारणों से भी अवगत कराया जावे।

शेष बिन्दुओं का गवर्निंग काउंसिल द्वारा अवलोकन किया गया।

**<u>बिन्दु संख्याः– 3</u>**

**<u>विश्व बैंक मिशन के ऐड मेमोयर (दिसम्बर 1– 12, 2006) का अवलोकन :–</u>**

गवर्निंग काउंसिल द्वारा विश्व बैंक मिशन के भ्रमण पश्चात जारी ऐड मेमोयर (दिसम्बर 1– 12, 2006) के द्वारा परियोजना क्रियान्वयन प्रगति में दी गयी श्रेणी – Moderately Satisfactory व इसके कारण को अवलोकन किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त गवर्निंग काउसिंल ने यह

निर्णय लिया कि क्लस्टर विकास समान रूचि समूहों के सदस्यों की मांग पर आधारित प्रक्रिया हैं और इसे सीआईजी पर लक्ष्य के तौर पर नहीं थोपा जाना चाहिऐ। यहां पर भी सीआईजी स्वयं प्रेरित कलस्टर स्तरीय फेडरेशन बनाना चाहते है उन्हे जिला स्तरीय प्रबंधन इकाई व गैर सरकारी संस्था पूरा सहयोग प्रदान करें। ऐसे कलस्टर का निर्माण प्राथमिकता पर किया जावे। इन्हे परियोजना से सहायता का निर्णय Case to Case basis पर किया जावेगा।

**<u>बिन्दु संख्याः— 4 (A)</u>**

**<u>समान रूचि समूहों के क्लस्टर बनाने की आवश्यकता एवं औचित्य तथा गवर्निंग काऊन्सिल के समक्ष निर्णय हेतु बिन्दुओं के साथ समयबद्ध कार्य पूर्ण करने की योजनाः—</u>**

गवर्निंग काउंसिल द्वारा प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समिति के गठन के प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

विचार विमर्श के उपरान्त गवर्निंग कांउसिल ने निम्न निर्देश प्रदान किये :—

1. डीपीआईपी द्वारा सहकारी समिति को आवर्ती व्यय हेतु किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।
2. सहकारी समिति को स्वः पोषित (Self Sustainable) मॉडल के आधार पर कार्य करना होगा। समान रुचि समूह के सदस्यों द्वारा इस आशय का आम सभा में प्रस्ताव पारित करना होगा ।
3. डीपीआईपी द्वारा सहकारी समिति को गठन पश्चात एक मुश्त सहायता (One time assistance) देने पर गवर्निंग काउंसिल गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी।
4. समिति के सदस्यों की एक्सपोजर भ्रमण, क्षमता विकास एवं Mobilization करने के लिए पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा।

**<u>बिन्दु संख्याः— 4 (B)</u>**

**<u>गरीबों के लिये संचालित अन्य योजनाओं (Gram Sarthi i.e. Convergence) का लाभ गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से पहुंचाने के लिये प्रोत्साहन राशि का प्रावधान :—</u>**

गवर्निंग काउंसिल ने विचार विर्मश के उपरान्त यह निर्णय लिया कि यदि ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा उसके क्षेत्र में रहने वाले 80 प्रतिशत या उससे अधिक समान रुचि समूह के सदस्यों को डीपीआईपी द्वारा जारी आदेश प. 6(18)ग्रा.वि./ डीपीआईपी/2003 दिनांक 27.01.07 के परिशिष्ठ 1 एवं परिशिष्ठ 2 में वर्णित योजनाओं में से अधिकतम योजनाओं (न्यूनतम 80 प्रतिशत)

जिसकी वे पात्रता रखते हो, लाभान्वित करवाया जाता है तो परियोजना की धनराशि से मानदेय के रुप में रु. 1000/– प्रतिवर्ष दिया जावेगा।

**<u>बिन्दु संख्याः– 5</u>**

**<u>मदवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा शेष रहे लक्ष्यों को 6 माह में प्राप्त करने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना :–</u>**

सर्वप्रथम सीआईएफ के लिये लक्ष्ति रूपये 100 करोड की राशि के विरूद्व जनवरी 2007 तक रूपये 92.00 करोड की प्रगति पर काउंसिल द्वारा अवलोकन किया गया और 200 करोड़ रुपये के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होने के कारणों से अवगत कराने के निर्देश दिये।

गवर्निंग काउंसिल को सूचित किया गया कि परियोजना के प्रारंभ से मार्च 2006 तक (6 वर्षो में) समान रूचि समुहों द्वारा 33,214 पशुओं का क्रय किया गया था। तत्पश्चात अप्रेल 2006 से जनवरी 2007 तक 34,800 पशुओं का क्रय किया जा चुका हैं तथा इस वित्तीय वर्ष की शेष रही अवधि में मार्च 2007 तक सम्भवतया 5230 पशुओं का और क्रय कर लिया जावेगा। इस प्रकार कुल 40030 पशुओं का क्रय सम्भव होगा।

जिलों को आवंटित रू. 511.61 करोड़ सी. आई.एफ. में से रू. 152.92 करोड़ की राशि समान रूचि समूहो को जारी करना शेष है । जिला चूरू में रु. 16.79 करोड की एवं दौसा में रु. 5.09 करोड की स्वीकृति जारी होना शेष है। उप–परियोजना की स्वीकृति पश्चात भी रूपये 88.00 करोड की राशि समान रूचि समूहों द्वारा लाभार्थी अंशदान जमा नहीं किये जाने के कारण हस्तान्तरित नहीं हो पायी है।

गवर्निंग काउंसिल द्वारा विश्व बैंक के मई–जून 2002 के ऐड मेमोयर के परिशिष्ठ 'डी' Community Investment and Coverage का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित था किः–

"Many Sub-projects that have been prepared or approved have been awaiting financial sanction for some months as the CIG members are not able to collect the 10% contribution. This is seen in large as well as in small sub-projects. Notably, it is the poorest people who are finding difficulty in making the contribution. As, the project would not like to penalize them for their poverty, it is suggested that in such cases a system be set up to collect part of the agreed contribution upfront (the percentage should be flexible according to the group's ability) and the rest after the implementation of the sub-project. This would be facilitated by income from the sub-project. The NGOs should take responsibility for ensuring the flow of contributions. The contributions could be used for the groups/sub-projects other needs such as operations and maintenance. The SPMU/DPMUs should also simplify the payment system to CIGs – it should be possible to release the funds in one tranch to the local bank and in two tranches at most to the CIGs."

उपरोक्त सुझाव को दृष्टिगत रखते हुए गवर्निंग काउंसिल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि :–

1. Animal fairs be held in each district giving wide publicity that good quality cattle are to be purchased. This will provide a forum for buyer and seller meet and apart from good quality animals make prices competitive and also offer a wider choice to the CIG's, require less number of Veterinary Doctors for certification and allay the fear of spurious purchase at local level.

2. Till fairs are organized, the ongoing process of purchase in other states should continue and be intensified to cover the maximum number of beneficiaries.

3. For Churu, there should be more focus on purchase of cows of improved native breeds like Rathi, Tharpakar etc. which are suitable to local conditions and are also high milk yielding. Breeding policy of the Animal Husbandry Department should be fully kept in view in solution of local breeds of cattle.

4. Purchase of cattle should also be made from Goverment farms like Suratgarh and cattle Breeding farms of Animal Husbandry Department.

Regarding the beneficiary contribution in advance, the Governing Council considered that it was very difficult for a BPL beneficiary to give beneficiary contribution up front and due to lack of creditworthiness the moneylenders sometimes adopt unscrupulous practice of keeping the asset purchased under the project with them by giving some money to the beneficiary. World Bank in their Aide Memmoire May-June, 2002 had categorically stated that a system be set up to collect part of agreed contribution up front (the % should be flexible according to group's ability )and the rest after the implementation of the Sub-project. In view of this, it has been decided that the unmet portion of beneficiary contribution by the CIG, should be advanced as a loan to the CIG for purchase of asset out of the project funds and an MOU be entered between CIG and DPM that the CIG will recover the loan against beneficiary contribution and pay to the DPM/CEO, ZP as per the procedure laid down by the Government. The loan account ledger giving details of the loan given (in lieu of beneficiary contribution) shall be maintained in the DPMU as per instructions to be issued by the State Project Director, DPIP.

The Governing Council also noticed that in Churu district 'Kund Bagwani Scheme' is being opted for by a large number of CIG's. As per the present design, the size of the kund was 30,000 litres. It was decided that it can be increased to 40,000 litres if the labour is available under Relief works thought dovetailing but there would be no additional cost on the project.

उपरोक्त बिन्दुओं पर तुरंत प्रभाव से क्रियान्विति के लिये दिशानिर्देश पत्रांक PS/RD&PR/2007 दिनांक 23.02.07 के द्वारा जारी कर दिये गये है। **(परिशिष्ठ'ब')**

उपरोक्त सुझाव एवं प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये गवर्निंग काउंसिल के द्वारा निम्नलिखित निर्णय भी लिये गये :–

(अ) लाभार्थी द्वारा जितना अंशदान क्षमता अनुसार जमा करवाया जा सकता हो, करवाने के पश्चात शेष लाभार्थी अंशदान को जिला परियोजना प्रबंधन इकाई पर उपलब्ध परियोजना राशि से समूह को ब्याज रहित ऋण के रुप में दिया जावे। समूह द्वारा बैठक में निर्धारित ब्याज पर यह ऋण समान रुचि समूह के सदस्य को दिया जावेगा।

(ब) जिला कलक्टर, चूरू द्वारा इन परियोजना में नोन बी.पी.एल. को सम्मिलित नहीं करने के निर्देश दिये हैं । इस सम्बन्ध में जिला परियोजना प्रबन्धक को समान रूचि समूहो में से गैर बी.पी.एल सदस्यों को हटाते हुये शेष रहे बी.पी.एल सदस्यो के लिये उप परियोजना की संशोधित स्वीकृति जारी कर राशि हस्तान्तरित करने के निर्देश गवर्निंग कांउसिल द्वारा प्रदान किये गये।

(स) यदि समान रूचि समूह के सदस्य की भूमि बैंक के रहन (Pledge) रखी हुयी हैं एवं ऋण अवधि पार नही हुआ हो और कब्जा समूह सदस्य का ही है यथा खेती एवं अन्य कार्यो के लिए स्वयं के द्वारा उपयोग में ली जा रही है, ऐसे सदस्य को उप परियोजना के तहत लाभान्वित किये जाने की स्वीकृत गवर्निंग कांउसिल द्वारा प्रदान की गयी।

(द) गवर्निंग कांउसिल द्वारा इस विषय को गम्भीरता से लिया गया कि तीन जिला परियोजना प्रबन्धकों–चुरू, राजसमंद एवं टोंक में पद रिक्त हैं । इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि कार्मिक विभाग को शीध्र पदस्थापन हेतु लिखा जावे। साथ ही गवर्निंग काउंसिल द्वारा इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि जिला परियोजना प्रबन्धक के पदो पर पदस्थापित किये गये अधिकारियों का कार्यकाल अल्प अवधि का रहा है, जिसके कारण परियोजना की क्रियान्विति पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हैं। अतः परियोजना की सुगम एवं सहज क्रियान्विति के लिये परियोजना में IRMA के छात्रों को जिला परियोजना प्रबन्धक के पद के लिये मासिक मानदेय रूपये 25,000/– से 30,000/– पर अनुबन्ध पर रखने की कार्यवाही की जावे।

**<u>बिन्दु संख्या :– 6</u>**

**<u>सीआईएफ की राशि के अतिरिक्त आवंटन के प्रस्ताव :–</u>**

गवर्निंग काउंसिल को अवगत कराया गया कि परामर्शदात्री सेवाओं एवं अन्य मदों से रूपये 7.00 करोड़ के कम व्यय होने की सम्भावना है, अतः इस राशि का सीआईएफ मद में हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका गवर्निंग काउंसिल ने अनुमोदन किया गया।

गवर्निंग कांउसिल को यह भी सूचित किया गया कि चुरू जिले में रूपये 17.27 करोड एवं दौसा जिले में रु. 6.09 करोड़ राशि ऐसी है जिसके पेटे उप परियोजना स्वीकृत नही की गयी है। जबकि अन्य जिलों द्वारा आवंटित सीआईएफ से अतिरिक्त राशि आवंटित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। चूकिं परियोजना जून 2007 को समाप्त हो रही है इसलिये गवर्निंग काउंसिल ने निर्देशित किया कि सीआईएफ में उपरोक्तानुसार उपलब्ध राशि रूपये 30.36 करोड़ की उप परियोजनाऐं तत्काल स्वीकृत की जावें एवं इस हेतु एक जिले से दूसरे जिले में राशि हस्तांतरित करने एवं अतिरिक्त आवंटन करने हेतु अध्यक्ष गवर्निंग कांउसिल को अधिकृत किया गया और इस आशय का स्पष्ट प्रस्ताव सात दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

**<u>बिन्दु संख्याः– 7</u>**

**<u>गैर सरकारी संस्थाओं के टॉस्क बिलों से स्टॉफ पदस्थापित नहीं करने या कम भुगतान करने के कारण काटी गई राशि के सम्बन्ध में सप्तम गवर्निंग काऊन्सिल में लिये गये निर्णय की पुर्नः समीक्षा :–</u>**

इस संबंध में प्रस्ताव की ओचित्यता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं इस संबंध में अध्यक्ष गवर्निंग कांउसिल को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

**<u>बिन्दु संख्याः– 8</u>**

**<u>परियोजना के द्वितीय परियोजना वर्ष में विभाग द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं के साथ किये गये अनुबन्ध में आदेश क्रमांक एफ. 1 (76)ग्रा.वि./डीपीआईपी/2001 दिनांक 19.12.02 के द्वारा दी गई छूट का अनुमोदनः–</u>**

गवर्निंग काउन्सिल द्वारा आदेश दिनांक 19.12.06 का अवलोकन पश्चात् अनुमोदन किया गया।

**<u>बिन्दु संख्याः– 9</u>**

**<u>गैर सरकारी संस्थाओं के भुगतान की स्थिति की समीक्षा तथा देरी के कारण।</u>**

गवर्निंग काउन्सिल के उपस्थित सदस्यों ने निम्न अनुसार जिलों में जाकर समीक्षा करने का निर्णय लिया ।

1. अध्यक्ष, गवर्निंग काउन्सिल– जिला टोंक एवं राजसमंद
2. राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज–जिला बारां एवं झालावाड़
3. श्री माणक चन्द सुराणा–जिला चूरू
4. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज –जिला धौलपुर
5. श्रीमती सुषमा सिंघवी–जिला दौसा

उपरोक्त सदस्यों द्वारा भ्रमण के दौरान उपरोक्त बिन्दु के साथ–साथ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा समान रूचि समूहों के उत्पादों के लिए की गई बाजार व्यवस्था की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया। उपरोक्त सदस्यों का भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु निदेर्शित किया गया। ये भी निर्देश दिये गये कि गैर सरकारी संस्थाओं के साथ अनुबन्ध में अंकित कार्यो को समय पर पूरा कराना सुनिश्चित किया जावे।

**<u>बिन्दु संख्याः– 10</u>**

**<u>राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई कार्यालय में स्थापित Centrex टेलीफोन व्यवस्था का स्थापित करने की दिनांक से अनुमोदन :–</u>**

गवर्निंग काउन्सिल द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त Centrex व्यवस्था की उपयोगिता के आधार पर राज्य मुख्यालय (हेतु 21) एवं समस्त डीपीएमयु हेतु Centrex टेलीफोन व्यवस्था का सम्बन्धित स्थान पर स्थापित करने की दिनांक से अनुमोदन किया।

**<u>बिन्दु संख्याः– 11</u>**

**<u>प्रशिक्षण के लिये चिन्हित संस्थाओं को अग्रिम राशि प्रदान करने के सम्बन्ध में:–</u>**

गवर्निंग काउन्सिल द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(5) ग्रा.वि./डीपीआईपी/2006–07 दिनांक 25.01.07 का अवलोकन पश्चात अनुमोदन किया गया ।

**<u>बिन्दु संख्याः– 12</u>**

**<u>चारागाह विकास की उप परियोजना की कियान्वयन मार्गदर्शिका :–</u>**

गवर्निंग काउन्सिल द्वारा इस सम्बन्ध में जारी पत्र क्रमांक प.3 (35) ग्रा.वि / डीपीआईपी / पीए/2006 दिनांक 03.08.2006 एवं कार्यशाला दिनांक 19.12.06 के कार्यवाही विवरण क्रमांक प.3

(35) ग्रा.वि / डीपीआईपी / पीए/2006 दिनांक 10.01.2007 का अवलोकन पश्चात अनुमोदन किया गया । साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि बैफ गैर सरकारी संस्था को चारागाह विकास की उप परियोजना के लिए Facilitation Charges एवं प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत राशि एक मुश्त अग्रिम के रूप में दी जावे, ताकि परियोजना की शेष रही अल्प अवधि में उप परियोजना क्रियान्वित की जा सके।

**<u>बिन्दु संख्याः – 13</u>**

**<u>Smart Chips for Animal Identification: -</u>**

गवर्निंग काउन्सिल द्वारा विश्व बैंक के इस प्रस्ताव पर असहमति प्रकट की गई।

**<u>बिन्दु संख्याः– 14</u>**

**<u>बीमा कम्पनियों के साथ किये गये अनुबंध का अनुमोदन :–</u>**

गवर्निंग काउन्सिल द्वारा तीन राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनीयों को परियोजना के 7 जिलों को आवंटित करने तथा दिनांक 29.12.2006 को किये गये अनुबन्ध का अवलोकन पश्चात अनुमोदन किया गया ।

**<u>बिन्दु संख्याः– 15</u>**

**<u>DPIP Raj. का External Environment Audit कराने का प्रस्ताव :–</u>**

गवर्निंग काउन्सिल द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरुप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।

## <u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लिए गये अन्य निर्णय</u>

**बिन्दु संख्या –16**

**<u>डीपीआईपी द्वितीय चरण के सम्बन्ध में</u>**

डीपीआईपी द्वितीय चरण हेतु Concept Paper तैयार करने के लिए निम्न निर्देश प्रदान किये गये :–

(i) द्वितीय चरण के लिए पात्रता बी.पी.एल. सूची 2002 में चयनित परिवारों की होगी ।

(ii) परियोजना के द्वितीय चरण में कार्य प्रारम्भ करने के लिए में बी.पी.एल. सूची 2002 के आधार पर निर्धनत्तम पंचायत समितियों का चयन किया जावेगा।

(iii) द्वितीय चरण में बीपीएल परिवारो को स्वयं सहायता समूह की अवधारणा के अनुरूप समूह में संगठित किया जावेगा ।

(iv) इन स्वयं सहायता समूहों को एक संघ के रूप में संगठित कर इनका सशक्तिकरण किया जावेगा।

(v) स्वयं सहायता समुहों का सशक्तिकरण इस प्रकार किया जावेगा जिससे कि उन्हें बैंक से ऋण लेने में असुविधा नहीं होगी।

(vi) द्वितीय चरण के क्रियान्वयन से पूर्व सक्षम सलाहकारों एवं सेवाप्रदाताओं के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर Livelihood प्लान तैयार करवाया जाकर सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं से अनुमोदित करवाया जावेगा।

(vii) उपरोक्त योजना के आधार पर जीविकोपार्जन से सम्बन्धित क्षेत्र में आधारभूत एवं अन्य Critical gaps को चिन्हित कर ऐसी परिसम्पत्तियां एवं गतिविधियां ली जावेगी जिससे ज्यादा से ज्यादा बीपीएल परिवारों को लाभ मिले सकें।

(viii) राजस्थान की विशेष परिस्थितियों विशेष कर अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए Risk Management & Risk Fund का प्रावधान किया जावेगा ।

(ix) द्वितीय चरण की क्रियान्विति के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर मानदेय पर सहज कर्ता की सेवायें ली जावेंगी, जो सचिव, ग्राम सेवक के पयर्वेक्षण में कार्य करेगा एवं न्यूनतम मासिक मानदेय रू. 2500/– होगा ।

(x) बायो–फ्यूल के लिए द्वितीय चरण में गरीब परिवारों को बंजर भूमि आवंटन कर रतनजोत की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा।

(xi) द्वितीय चरण में चयनित पंचायत समितियों में रहने वाले सभी पात्र बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया जावेगा।

(xii) परियोजना की Subsidy की पद्वति व क्रियान्विति SGSY पर आधारित होगी।

<u>बिन्दु संख्या –17</u>

नेबकोन्स को पत्र लिखकर यह जानकारी ली जावे कि डीपीआईपी द्वारा सम्पत्ति उपलब्ध कराने के पश्चात भी बैंकों द्वारा समान रूचि समूहों को ऋण देने हेतु किस प्रकार की समस्या आ रही है। Q&S अनुबन्ध के बावजूद भी Bank Linkage की कम प्रगति के कारणों से भी अवगत कराया जावे व संबंधित NGO से इसकी समीक्षा कर सुधार लाया जावे।

**राज्य परियोजना निदेशक,**
**डीपीआईपी**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्री मानक चन्द सुराणा, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राजस्थान सरकार,जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. अति. मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. सचिव वित्त, राजस्थान जयपुर।
7. सचिव, आयोजना, राजस्थान जयपुर।
8. डॉ सुषमा सिंघवी, निदेशक वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रुडा , जयपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, आर.सी.डी.एफ. , जयपुर।
11. उप रजिस्ट्रार, सहकारिता (नियम), सहकार भवन, जयपुर।
12. जिला कलक्टर, बारां/चूरु/दौसा/धौलपुर/झालावाड/राजसमंद एवं टोंक।
13. समस्त अधिकारी, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, डीपीआईपी, जयपुर।
14. जिला परियोजना प्रबंधक, बारां/चूरु/दौसा/धौलपुर/झालावाड/राजसमंद एवं टोंक।

राज्य परियोजना निदेशक
डीपीआईपी

**परिशिष्ट – 'अ'**

## गवर्निग काउंसिल की नवीं बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची

1. श्री कालूलाल गुर्जर, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्री मानक चन्द सुराणा, अध्यक्ष, राजस्थान वित्त आयोग, राजस्थान सरकार,जयपुर।
3. श्री बाबूलाल वर्मा, माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. श्री रामलुभाया, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. श्री रोहित कुमार सिंह, सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. डॉ सुषमा सिंघवी, निदेशक वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जयपुर।
7. श्री अभय कुमार, राज्य परियोजना निदेशक एवं शासन विशिष्ट सचिव,डीपीआईपी, जयपुर।
8. उप शासन सचिव, वित्त(व्यय–1), राजस्थान, जयपुर।
9. श्री पी.एन.विजयवर्गीय, महाप्रबंधक (वित्त), डीपीआईपी, जयपुर।
10. श्री के.डी.पाराशर, महाप्रबंधक (सीडीएण्डटी), डीपीआईपी, जयपुर।
11. श्री पी.एस.कालरा, महाप्रबंधक (FO&AH), आर.सी.डी.एफ. , जयपुर।
12. श्री पी.एम.व्यास, उप निदेशक, आयोजना विभाग, जयपुर।
13. श्री लीला पूरुषोत्तम उप रजिस्ट्रार, सहकारिता (नियम), सहकार भवन, जयपुर।
14. श्री विकास शर्मा, उप निदेशक, डीपीआईपी, जयपुर।
15. श्री आर.के.नाग, महाप्रबंधक (एमएण्डएल), डीपीआईपी, जयपुर।
16. जिला परियोजना प्रबंधक, डीपीआईपी, बारां ।
17. जिला परियोजना प्रबंधक, डीपीआईपी चूरु।
18. जिला परियोजना प्रबंधक, डीपीआईपी, दौसा।
19. जिला परियोजना प्रबंधक, डीपीआईपी, धौलपुर।
20. जिला परियोजना प्रबंधक, डीपीआईपी, झालावाड।
21. जिला परियोजना प्रबंधक, डीपीआईपी, राजसमंद।
22. जिला परियोजना प्रबंधक, डीपीआईपी, टोंक।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

No-PS/RD&PR/2007 Dated: 23rd February, 2007

Collector,
Churu, Dausa, Dholpur, Jhalawar, Rajsamand & Tonk.

Sub: Implementation of DPIP.

Sir,

In the meeting of the Governing Council of the DPIP Project held under the chairmanship of Minster, RD & PR, it was revealed that Sub Projects of about Rs 120 crores were sanctioned and purchases were held up or going on at a slow pace because.

(i) The process of teams going for purchase of cattle outside the State was lengthy and purchase of cattle being concentrated in the same area of the outside State led to increase in price and therefore the teams visit at intervals.
(ii) Beneficiary contribution was not being deposited in advance and thus purchase could not be made till the requisite beneficiary contribution is received.
(iii) Even in districts like Churu there was emphasis on purchase of Buffalo that may not be suitable on account of fodder availability, heat, shortage of water etc.

you are aware, the Project will come to a close on 30th June,2007 and after that the purchase would not be allowed. In order to expedite the purchase of assets of sanctioned Sub-Projects, the Governing Council has decided that: -

1. Animal fairs be held in each District giving wide publicity that good quality cattle are to be purchased. This will provide a forum for buyer and seller meet and apart from good quality animals make prices competitive and also offer a wider choice to the CIGs require less number of Veterinary Doctors for certification and allay the fear of spurious purchase at local level.
2. Till fairs are organized, the ongoing process of purchase in other States should continue and be intensified to cover the maximum number of beneficiaries.
3. For Churu, there should be more focus on purchase of cows of improved native breeds like Rathi, Tharpakar etc. which are suitable to local conditions and are also high milk yielding. Breeding policy of the Animal Husbandry Department should be fully kept in view in solution of local breeds of cattle.
4. Purchase of cattle should also be made from Government Farms like Suratgarh and Cattle Breeding Farms of Animal Husbandry department.

Regarding the beneficiary contribution in advance the Government Council considered that was very difficult for a BPL beneficiary to give beneficiary contribution up front and due to lack of creditworthiness the moneylenders sometimes adopt unscrupulous practice of keeping the asset purchased under the project with them by giving some money to the beneficiary World Bank in their Aide Memoire May June.2002 had categorically stated that a system be set up to collect part of agreed contribution up front ()